पत्रांक-12/अ.6-29/2013....2620......../

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र-2, कम्यूनिटी सेन्टर,
प्रीत विहार, विकास मार्ग,
नई दिल्ली-110092

रांची, दिनांक 12/08/2015

विषयः- **माउन्ट लिटरा जी स्कूल, जमशेदपुर, तामुलिया, चाण्डिल, सरायकेला-खरसांवा को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्वता प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, माउन्ट लिटरा जी स्कूल, जमशेदपुर, तामुलिया, चाण्डिल, सरायकेला-खरसांवा से प्राप्त आवेदन (छायाप्रति संलग्न) पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने इस विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्वता हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-671 दिनांक-16.03.2012 के आलोक में निम्नांकित शर्तो के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया हैः-

(i) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र सैद्धान्तिक होगा तथा सी0बी0एस0ई0 अपने निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यालय का निरीक्षण करेंगे एवं अपने निर्धारित शर्तो को पूरा करने के पश्चात् ही विद्यालय को अपनी सम्बद्धता प्रदान करेंगे।

(ii) विद्यालय प्रबंधन को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 एवं इससे संबंधित मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार/मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्गत नियमावली अथवा दिशा-निदेशों का पूर्णतः विधि सम्मत् अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी समय-समय पर आवश्यकता के अनुरूप विद्यालय का पर्यवेक्षण कर सकेंगे कि विद्यालय द्वारा उक्त निर्धारित मापदण्डों का विधि सम्मत् अनुपालन किया जा रहा है अथवा नही।

(iv) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी0बी0एस0ई0), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदित विद्यालयों को इनसे संबंधित बोर्ड द्वारा निर्गत नियमावली में निर्धारित अर्हता एवं उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन करने पर विद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार का होगा। ऐसी स्थिति में इस आशय की सूचना केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी दी जायेगी।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक-यथोक्त।

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

ज्ञापांक-12/अ.6-29/2013....2620......../रांची, दिनांक 12/08/2015.../

प्रतिलिपिः- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के सचिव/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सरायकेला-खरसांवा/सचिव/प्राचार्य, माउन्ट लिटरा जी स्कूल, जमशेदपुर, तामुलिया, चाण्डिल, सरायकेला-खरसांवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Manager
Mount Litera Zee School
Jamshedpur

Principal
Mount Litera Zee School
Jamshedpur

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

कार्यालयः जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला–खरसावाँ।

शुद्धि–पत्र

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 655, दिनांक 29.04.2026 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि उक्त आदेश में विद्यालय का नाम त्रुटिवश पूर्व नाम के अनुसार अंकित हो गया है।

झारखंड सरकार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) के पत्रांक 11/नि.02–12/2024–1631, दिनांक 14/06/2024 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के आलोक में विद्यालय के नाम में हुए परिवर्तन को निम्नवत संशोधित पढ़ा जाए :

विवरण	पूर्व अंकित नाम	संशोधित नाम (शुद्ध नाम)
विद्यालय का नाम	Mount Litera Zee School	Kavyapta Global School

कार्यालय आदेश संख्या 655 दिनांक 29.04.2026 की शेष शर्ते पूर्ववत रहेंगी।

3/5/6/26

जिला शिक्षा अधीक्षक
सरायकेला–खरसावाँ।

ज्ञापाक 685 सरायकेला / दिनांक 06/05/2026
प्रतिलिपिः प्राचार्य, Kavyapta Global School,Tamulia को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/5/6/26

जिला शिक्षा अधीक्षक
सरायकेला–खरसावाँ।